272

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ....R...... I/13 R. 3904-II/13

रामऔतार सिंह पुत्र सुखलाल जाति जाटव निवासी अबास नगर रछेड तह0 पोरसा जिला मुरैना

......................आवेदक

दिनांक 30.10.13 को श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभि. द्वारा प्रस्तुत।

30.10.13 A.S.O

बनाम

राकेश पुत्र बलधारी जाति जाटव निवासी अबास नगर रछेड तह0 पोरसा जिला मुरैना हाल निवासी कबीर कॉलौनी ग्वालियर तह0 व जिला ग्वालियर

..........................अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 12/09/2013 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्बाह कैम्प पोरसा के प्र0क0 161/12–13 अपील/ निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है–

01– यह कि ग्राम विचौली तह0 पोररा जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 58/1 रकवा 1.00 है0 पटवारी कागजात में अनावेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है ।

02– यह कि विवादित भूमि पर आवेदक काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है अनावेदक का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा और न कभी खेती की । अनावेदक गांव में भी निवास नहीं करता है ।

03– यह कि आवेदक द्वारा पटवारी मौजा से खसरे में कब्जा इन्द्राज करने को कहा परन्तु पटवारी मौजा ने विवादित भूमि पर कब्जा का इन्द्राज नहीं किया तब आवेदक द्वारा कब्जा इन्द्राज हेतु आवेदन पत्र तह0 पोरसा के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्र0क0 140/12–13 × वी/121 पर पंजीबद्व किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक 27/08/13 द्वारा विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा इन्द्राज करने का आदेश प्रदान किया ।

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3904-एक/13 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	